का॰ज्ञा॰सं॰ 14034/16/2880-रा॰भा॰ (प्रशि॰), दिनांक 19.3.2001

विषय: हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यशालाओं का आयोजन-मानदेय की धनराशि बढ़ाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के क्रमश: दिनांक 15.2.1990 तथा 20.11.1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14025/6/89-रा॰भा॰(घ) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिंदी में सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित अतिथि वक्ताओं तथा केंद्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की राशि रुपये 240/- (रुपये दो सौ चालीस), प्रति 60 मिनट (एक घंटा) की दर से निर्धारित की गई है। किसी एक वक्ता को एक कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए अधिकतम मानदेय राशि रुपये 2,400/- (रुपये दो हजार चार सौ) से अधिक नही होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक कार्यशाला में व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित सभी अतिथि वक्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय की कुल राशि किसी भी हालत में रुपये 7,200/- (रुपये सात हजार दो सौ) से अधिक नही होगी।

2. इसे वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 23.2.2001 की अ॰वि॰ टिप्पणी संख्या एच॰-14/2001-वित्त-II के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है।

3. ये आदेश 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे।